(V) खेल और खेलकूद

सामान्य इंडोर तथा आउटडोर खेलों के लिए समुचित खेलकूद उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।

7. (क) प्रबंधन समिति

संस्थान में संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार यदि कोई हो तो एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। ऐसे किसी नियम की गैर–मौजूदगी में प्रयोजन करने वाली सोसायटी स्वयं अपनी ओर से प्रबंधन समिति का गठन करेगी । इस समिति में प्रबंधन सोसायटी/न्यास, शिक्षाविदों, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि तथा स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे ।

(ख) सामान्य

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही इमारत में अध्यापक शिक्षा में एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो बहुउद्देशीय हाल, खेल के मैदान, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला (पुस्तकों तथा उपकरणों की आनुपातिक वृद्धि सहित) और शिक्षणात्मक स्थान की सुविधाओं का प्रयोग साझे के रूप में किया जा सकता है। समूचे संस्थान के लिए एक प्रिंसीपल तथा अन्य कार्यकर्मों के लिए अलग अलग विभागाध्यक्ष होगा ।

परिशिष्ट – 13

बी.ए. बी.एड/बी.एससी बी.एड. प्राप्त कराने वाला 4 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम

1. प्रस्तावना

1.1 चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यकम का लक्ष्य, सामान्य अध्ययन, जिसमें विज्ञान (बी.एस.सी. बी.एड) और सामाजिक विज्ञान या मानविकी (बी.ए बी.एड), तथा वृत्तिक अध्ययन, जिसमें शिक्षा के आधार, विद्यालयी विषयों का शिक्षणशास्त्र, तथा एक विद्यालय–शिक्षक के कार्यों एवं कार्यविधियों से जुडी प्रायोगिकी, का एकीकरण है । यह सिद्धान्त और व्यवहार में संतुलन बनाए रखता हैं, तथा कार्यकम के घटकों के बीच सुसंगति एवं जुडाव को बनाए रखता है और एक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के विस्तृत ज्ञान–आधान को प्रस्तुत करता है । कार्यकम का लक्ष्य शिक्षा के उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों के लिए शिक्षकों को तैयार करना है ।

1.2 यह कार्यकम संयुक्त संस्थानों में चलाया जाएगा जैसा कि विनियम 2.1 में परिभाषित है।

2 अवधि एवं कार्यदिवस

बी.एस.सी.बी.एड. एव बी.ए.बी.एड कार्यकम की अवधि विद्यालय आधारित अनुभव तथा शिक्षण में प्रशिक्षुता समेत चार शैक्षणिक वर्ष अथवा आठ सेमेस्टर की होगी। हालांकि विद्यार्थी शिक्षक को कार्यकम में प्रवेश की तिथि से अधिकतम छः वर्षों के भीतर कार्यकम को पूरा कर लेने की अनुमति होगी।

2.1 कार्य दिवस

(क) एक वर्ष में कम से कम दो सौ पचास कार्यदिवस होंगे, ये परीक्षा एवं प्रवेश की अवधि को छोड़कर होंगे।

(ख) एक कार्य दिवस में न्यूनतम 5–6 घंटे, एक सप्ताह में न्यूनतम 36 घंटे होंगे। संस्थान परामर्श एवं दिशानिर्देशन–सामूहिक अथवा व्यक्तिगत निर्देशन के लिए अध्यापकों एवं विद्यार्थियों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा ।

(ग) विद्यार्थी शिक्षकों की न्यूनतम उपस्थिति कोर्स वर्क और प्रायोगिकी में 80% तथा विद्यालय प्रशिक्षुता में 90% होगी ।

2.2 प्रवेश, पात्रता, प्रवेश प्रकिया एवं शुल्क

50 विद्यार्थियों की एक आधारभूत इकाई होगी। प्रारंभ में दो इकाईयों की अनुमति दी जा सकती है। संबंधन विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों के लिए विद्यार्थियों का बंटन निर्धारित कर सकता है ।

2.3 पात्रता

(क) उच्चतर माध्यमिक/+2 या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50: अंक पाने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति/ओ.बी.सी/विकलांग तथा अन्य वर्गों के लिए स्थान आरक्षण एवं अंकों में छूट केन्द्र सरकार / राज्य

2.4 प्रवेश प्रकिया

(क) प्रवेश अर्हकारी परीक्षा तथा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर अथवा राज्य सरकार / विश्वविद्यालय / केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रकिया द्वारा दिया जाएगा ।

(ख) कार्यक्रम में प्रवेश के समय विद्यार्थी को उस के द्वारा पढ़े जाने वाले विषयों को दर्शाना होगा और साथ ही उसके साथ पढे जाने वाले शिक्षण शास्त्रीय विशेषज्ञता को भी दर्शाता होगा और चह चयन मेरिट के कम एवं उपलब्धता के आधार पर ही मिलेगा ।

2.5 शुल्क

संस्थान केवल वही शुल्क लेगा जो एन.सी.टी.ई. (गैर–सहायता प्राप्त शिक्षक शिक्षा संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले शिक्षण–शुल्क एवं अन्य शुल्क के विनियमों के लिए दिशा निर्देश) विनियम 2002 (समय–समय) पर संशोधित के अनुरूप सम्बद्ध निकाय सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होगा।

2.6 पाठ्यचर्या, कार्यकम का कियान्वयन एवं मूल्यांकन

2.7 पाठ्यचर्या

बी.एस.सी.बी.एड. और बी.ए.बी.एड कार्यकम में विज्ञान और कला में स्नातक कार्यकमों के समतुल्य प्रकरण पाठ्यकमय तथा सहायक पाठ्यकम, शिक्षणशास्त्रीय पाठ्यकम, और प्रायोगिकी जिसमें विद्यालयी अनुभव एवं शिक्षा में प्रशिक्षुता शामिल है, सम्मिलित है।

आई.सी.टी, लिंग, योग शिक्षा तथा अक्षमता/समावेशी शिक्षा बी.एस.सी.बी.एड/बी.ए.बी.एड पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग होंगे।

(क) सैद्धान्तिक पाठ्यकम

(i) शिक्षा के परिप्रेक्ष्य

(क) शिक्षा के परिप्रेक्ष्यों को सामान्य शिक्षा में उप–पाठ्यकम के रूप में रखा गया है ताकि वे 21वीं सदी की कक्षाओं में आवश्यक आधारभूत ज्ञान और कैशलों से लैस हो पाएं तथा वैश्विक समाज में अधिगम सम्बन्धी मुद्दों को समझने के साथ–साथ इस कार्यकम में सफलतापूर्वक अधिगम कर पाएं। इस पाठ्यकम में निम्नलिखित मुद्दे सम्मिलित है: भाषा और सम्प्रेषण, आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक चिंतन, तथा शिक्षण एवं अधिगम के लिए आई.सी.टी, भारतीय संविधान और मानवाधिकार तथा पर्यावरण अध्ययन।

(ख) "शिक्षा के आधार" उप–पाठ्यकम में शिक्षा के सिद्धान्त, शिक्षा के लक्ष्य, आदि, भारतीय समाज की विकासशील समझ, भारत में शिक्षा, ज्ञान और उसके अर्जन की प्रकृति, किशोरावस्था को केन्द्र में रखकर मानव विकास, अधिगम सिद्धान्त इत्यादि क्षेत्र सम्मिलित हैं। इन पाठ्यकमों का लक्ष्य विद्यार्थी शिक्षक के दृष्टिकोणों का विकास, शिक्षा के लक्ष्यों सम्बन्धी धारणाओं की रचना के योग्य बनना, ज्ञान की प्रकृति, अधिगम तथा शिक्षक के रूप में उनकी अपनी भूमिका को समझना है । इन पाठ्यकमों का रूपांकन इस प्रकार होना चाहिए कि विद्यार्थी आत्मकथात्मक चिंतन करें और अपने आस–पास के सामाजिक यथार्थ से पूर्णतया परिचित हो सकें। सैद्धान्तिक पाठ्यकमों में समनुदेशन (असाइनमैंट्स) कार्य होंगे जिससे विद्यार्थी विभिन्न सन्दर्भों में लघु क्षेत्रीय अध्ययन से जुडते हैं। प्रायोगिक पाठ्यकम में विद्यार्थी विद्यालय और घर में तथा उससे बाहर बच्चों एवं शिक्षकों का पर्यवेक्षण और उनसे अंतःकिया कर सकेंगे।

सामान्यतया में पाठ्यकम आधारभूत क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ शिक्षा संकाय द्वारा पढाए जा सकते हैं । ये पाठ्यकम सम्बन्धित अनुशासन जैसे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, विकासशील अध्ययन, लिंग अध्ययन, दर्शन आदि विभागों के सहयोगी संकायों द्वारा पढाया जा सकता है ।

(ग) शिक्षा अध्ययन उप–पाठ्यकम विद्यार्थी शिक्षक माध्यमिक विद्यालय शिक्षक के शिक्षणशास्त्रीय ज्ञान के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित मूल अवधारणाओं और सिद्धान्तों को सीखने में मदद करेगा, जो कि विद्यालयों में प्रभावी शिक्षण तथा चिंतनशील व्यवहार के लिए आवश्यक है। यह पाठ्यकम सामान्य शिक्षणशास्त्रीय ज्ञान क्षेत्र जैसे शिक्षा के सिद्धान्त तथा प्रयोजन अधिगमकर्ता और अधिगम, अध्येताओं में पाई जाने वाली विविधता शैक्षिक सन्दर्भ, अधिगम का मूल्यांकन, कक्षा संचालन तथा शिक्षण की सामान्य विधियों को सम्मिलित करता है।

(ii) पाठ्यचर्या एवं शिक्षणशास्त्रीय अध्ययन

(अ) शिक्षण शास्त्रीय अध्ययन में गणित या शारीरिक शिक्षा या जीव विज्ञान, भारतीय भाषाएं, अंग्रेजी तथा सामाजिक विज्ञान चार पाठ्यकम हैं। ये पाठ्यकम विद्यार्थी शिक्षकों की विषय–पाठ्यचर्या का विवेचित ज्ञान अर्जित करने में सहायता करेगा। साथ ही माध्यमिक विद्यालयों में पढाए जाने वाले विषय विशेष का शिक्षण शस्त्रीय ज्ञान, कौशल तथा प्रकृति के अलावा विषय सामग्री के ज्ञान की समझ बढाने में सहायता करेगा। यह पाठ्यकम अधिगमकर्ता के बारे में ज्ञान के साथ अनुशासनात्मक ज्ञान को जोडने के अनुभवों, अधिगम, अधिगम–वातावरण, तकनीक तथा विषय के अधिगम से सम्बन्धित शोध के माध्यम से शिक्षक के एकीकृत ज्ञान के विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा।ये पाठ्यक्रम विषय के ज्ञान को अध्येता अधिगम, अधिगम परिवेश, प्रौद्योगिक तथा शोध से जोड कर अध्यापक के समेकित ज्ञान को विकसित करने के अवसर प्रदान करेगा।

(ब) कार्यकम में अध्ययन का अन्य क्षेत्र शिक्षक के शिक्षण–क्षेत्र की विशेषज्ञता से संबंधित है: जैसे बी.एस.सी.बी. एड. कार्यकम में गणित, भौतिक विज्ञान तथा जीव विज्ञान; तथा बी.एस.सी.बी.एड. अंग्रेजी, भारतीय भाषा, तथा सामाजिक विज्ञान बी.ए. बी.एड कार्यकम में सम्बन्धी विषय जो विद्यार्थी शिक्षण–विषय के रूप में गणित, जीव विज्ञान या भारतीय भाषा या अंग्रेजी का चुनाव कर रहे हैं, उन्हें विषय क्षेत्र से सम्बन्धित सभी निर्धारित पाठ्यक्रमों को पढना होगा। भौतिक विज्ञान में

विशेषज्ञता ले रहे विद्यार्थी–शिक्षकों की मुख्य रूप से भैतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान पढना होगा इसमें रसायन विज्ञान या भौतिकी में मूल पाठ्यकम तथा गणित के पाठ्यकम को सहायक विषय के रूप में पढना होगा । वैसे ही अध्येता शिक्षक जो सामाजिक विज्ञान अध्ययन पाठ्यक्रमों को पढ़ना चाहते है, भूगोल को मुख्य विषय के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो उन्हे अन्य विषय–नागरिक शास्त्र तथा अर्थशास्त्र को समर्थक पाठ्यक्रमों के रूप में पढ़ना होगा।

(iii) **भाषा एवं सम्प्रेषण, तथा आत्म–विकासः**

इन पाठ्यकमों का रूपांकन विद्यार्थी शिक्षक को उस भाषा की सम्प्रेषण–क्षमता विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए किया जाएगा, जिसमें उसे पढाना (कार्यकम में शिक्षण की भाषा) है। ये पाठ्यकम अभिव्यक्तिपरक तथा ग्राही क्षमताओं, जिसमें सुनना, बोलना, पढना और लिखना आते हैं, तथा आई सी टी के प्रयोग के विकास के अवसर उपलब्ध कराएंगे। इसके शिक्षण शास्त्र में प्रदर्शन कलाओं तथा नाटक और आत्म विकास की तकनीकों का प्रयोग शामिल है। इन पाठ्यकमों का एक बडा हिस्सा कार्यशालाओं/प्रयोगशालाओं या लम्बी अवधि के दौरान आयोजिक किया जाएगा ताकि हर विद्यार्थी को भाग लेने एवं विकास करने का पूरा अवसर मिले। यह पाठ्यकम ऐसे प्रकरणों को आधार बनाकर बनाए जा सकते हैं जो विद्यार्थी शिक्षक के स्वयं के विकास तथा सामाजिक संवेदनशीलता एवं बच्चों से जुडे मुद्दों के प्रति जागरूकता के विकास में उसे सक्षम बनाएँ। समय–सारणी के लिहाज से इस पाठ्यकम के केडिट को प्रायोगिकी के अंतर्गत माना जाएगा। इस पाठ्यकम का 50% हिस्सा आंतरिक मूल्यॉकन के माध्यम से मूल्यांकित किया जा सकता है। भाषा के पाठ्यकम शिक्षा संकाय द्वारा भाषा शिक्षणशास्त्र में विशेषज्ञता के साथ पढाए जाएँगे, साथ ही आई सी टी में विशेक्षज्ञता, आत्म–विकास, प्रदर्शन कला, तथा भाषाएँ भी पढाई जाएगी।

(iv) **प्रायोगिकी एवं विद्यालय प्रशिक्षुता**

शिक्षण में विद्यालयी अनुभव तथा प्रशिक्षुता शिक्षक तैयार करने के कार्यकम का अभिन्न अंग होता है जो विद्यार्थी शिक्षकों को अपनी वृत्तिक भूमिका को सीखने तथा बढाने में सहायता करता है। विद्यालयी अनुभव कार्यकम विद्यार्थी शिक्षकों को व्यवहार के बुनियादी मुद्दों को देखने और समझने में मदद करते हैं, तथा धीरे–धीरे शिक्षण अनुभव में प्रशिक्षुता के दौरान कक्षागत शिक्षण की पूरी जिम्मेदारी को समझने में सहायता मिलती है। कार्यकम के दौरान, प्रशिक्षुता की कुल अवधि 20 सप्ताह की होगी, जिसमें से 4 सप्ताह तृतीय वर्ष और 16 सप्ताह चतुर्थ वर्ष में होंगे।

2.8 कार्यकम का कियान्वयन

संस्थानों को इस कार्यकम की निम्नलिखित विशिष्ट अपेक्षाओंको पूरा करना होगा :

(i) विद्यालय प्रशिक्षुता समेत सभी गतिविधियों के लिए एक कैलेण्डर तैयार करना। विद्यालय प्रशिक्षुता और अन्य विद्यालय सम्बन्धी प्रायोगिकी विद्यालय के शैक्षणिक कैलेण्डर के समकालिक होगी।

(ii) प्रशिक्षुता के साथ–साथ अन्य प्रायोगिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त संख्या में विद्यालयों की व्यवस्था करना। अधिमानतः ये विद्यालय सरकारी विद्यालय होने चाहिए तथा कार्यकम के दौरान सभी प्रायोगिक गतिविधियों एवं सम्बन्धित कार्यों के लिए मुख्य सम्पर्क केन्द्र होंगे। राज्य शिक्षा प्रशासन विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को विद्यालय आबंटित कर सकते हैं ।

(iii) विद्यालयों, क्षेत्रों के प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा सरकार के बीच एक समन्वयक तंत्र होगा जो विद्यालय के शैक्षणिक कैलेण्डर के साथ तालमेल तथा विभिन्न विद्यालयों में अध्येता–शिक्षकों के तार्किक एवं यथोचित वितरण, विद्यालय के सहयोग एवं आपसी सहभागिता सुनिश्चित करेगा।

(iv) प्रशिक्षुता विद्यालयों के शिक्षकों को विद्यालय प्रशिक्षुता की प्रकियाओं में शामिल करने के लिए सांस्थानिक तंत्र विकसित करना।

(v) संगोष्ठियों, वाद–विवाद प्रतियोगिताओं, व्याख्यानों तथा विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए परिचर्चा समूहों आदि का आयोजन कर शिक्षा पर समझ को समझाना तथा उसे और गहरा करना।

(vi) शैक्षिक महत्व के प्रकरणों पर विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए अन्तर–सांस्थानिक अन्योन्य क्रिया का आयोजन करना तथा अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित इसी प्रकार के समारोहों में भाग लेना।

(vii) संस्थान के जीवन में एकीकृत होना और अन्य स्नातक कार्यकमों के विद्यार्थियों के साथ भागीदारी तथा अन्तः किया के अवसर निकालना।

(viii) विद्यार्थियों में विमर्शक चिंतन तथा आलोचनात्मक प्रश्न पूछने का कौशल विकसित करने में मदद के लिए एक सहभागी शिक्षण उपागम अपनाना।

(ix) प्रशिक्षुओं को चिंतनशील पुस्तिका तथा पर्यवेक्षण अभिलेख तैयार करने के लिए उत्साहित करना जिससे प्रतिबिंबित चिंतन के अवसर उपलब्ध होते हैं ।

(x) योजना के अभिलेखों, पर्यवेक्षण कार्यकमों एवं प्रतिपुष्टि तथा प्रशिक्षुओं द्वारा तैयार चिंतनशील प्रतिवेदन तैयार करना।

(xi) विभागों के शिक्षक जहॉं विद्यार्थी उदार पाठ्यकमों का चुनाव करते हैं और सहयोगी विभागों के शिक्षक जो शिक्षण से जुडे हुए हैं, उन्हें शिक्षा विभाग के विस्तारित अध्यापकों के रूप में माना जाएगा। इस प्रकार के विभागों से कम से कम एक अध्यापक, जो शिक्षा के विद्यार्थियों को उदार पाठ्यकम पढा रहा हो, शिक्षा विभाग की योजना बैठकों तथा शैक्षणिक पुनरावलोकन की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए नामांकित किया जाएगा। उन्हें क्षेत्रीय कार्य के पर्यवेक्षण आदि के लिए भेजा जा सकता है, ताकि प्रायोगिक गतिविधियॉं आपसी सहयोग सेचल सकें तथा एकीकृत तरीके से अनुशासनात्मक सामग्री और शिक्षा के सरोकारों को समझने में सहयोग मिल सके।

(xii) संस्थान अध्यापकों के विकास के अवसर प्रदान करेगा तथा अध्यापकों के वृत्तिक विकास के लिए शैक्षणिक संवर्धन कार्यकम आयोजित करेगा। अध्यापकों को शैक्षणिक लक्ष्यों तथा शोध करने, खासकर माध्यमिक विद्यालयों में, के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

2.9 **मूल्यांकन**

(i) मूल्यांकन की योजना वही होगी, जो सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित होगी।

(ii) प्रत्येक सैद्धान्तिक पाठ्यकमों में आंतरिक मूल्यांकन का भारिता 20 से 40 तथा वार्षिक परीक्षा का भारिता 60 से 80 होगी। कुल अंकों के कम से कम एक चौथाई अंक 16 सप्ताह के शिक्षण अभ्यास के लिए आबंटित होंगे। विद्यार्थियों को उनके ग्रेड/अंकों की सूचना वृत्तिक प्रतिपुष्टि के रूप भाग के रूप में दी जाएगी ताकि उन्हें अपने निष्पादन में सुधार लाने का अवसर मिल सके।

(iii) उदार अनुशासनात्मक पाठ्यकम के लिए विश्वविद्यालय के नियमों का पालन होगा

(iv) विद्यालय प्रशिक्षुता समेत सभी प्रायोगिक पाठ्यकम केवल आंतरिक रूप से मूल्यांकित होंगे । विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक शिक्षणशास्त्रीय क्षेत्र के लिए पढाए गए कुल पाठों का 25% पर्यवेक्षित होगा और मूल्यांकन किया जाएगाः इससे विद्यार्थी के विकास को प्रतिबिंबित करने में सहायता मिलेगी।

(v) आंतरिक मूल्यांकन के आधार निम्नलिखित होंगे –

सिद्धान्त	:	व्यक्तिगत/सामूहिक समनुदेशन कार्य पर्यवेक्षण अभिलेख, प्रस्तुतियॉं एवं विद्यार्थी का पोर्टफोलियो।
प्रायोगिकी	:	पर्यवेक्षण अभिलेख/दैनंदिनी/शोधपत्र व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रतिवेदन अध्यापकों का पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन प्रधानाध्यापक/सहभागी अध्यापक का, विद्यार्थी की संपूर्ण विद्यालय में सहभागिता पर प्रतिवेदन भी ध्यान में रखा जाएगा।

(vi) संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा गठित एक संतुलन मंडल, किसी निश्चित विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों; जो सभी प्रायोगिक पाठ्यक्रमों और विद्यालय प्रशिक्षुता कार्यक्रम चला रहे हों, के बीच ग्रेडिंग और मूल्यांकन में गुणवत्ता और समता के मुद्दो पर नज़र रखेगा।

(vii) आंतरिक मूल्यांकन में पक्षपात करने संबंधी के विवादों की सुनवाई और निपटारे के लिए प्रावधान होगा। तंत्र वहॉं काम करेगा जहॉं पाठ्यक्रम/विषय पढ़ा रहें अध्यापक के अलवा कोई और अध्यापक शामिल होगा।

स्टाफ

5.1 **अध्यापक**

50 विद्यार्थियों की एक आधारभूत इकाई के प्रवेश के लिए, निम्नलिखित पाठ्यक्रम क्षेत्रों के लिए की नियुक्ति निर्दिष्ट आवश्यक एवं ऐच्छिक योग्यताओं और विशेषज्ञतागों के साथ होगी। पूर्णकालिक अध्यापकों की संख्या उपर्युक्त मानकों के अनुसार आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी।

दो आधार इकाईयों, (प्रत्येक में 50 विद्यार्थी)के प्रवेश के लिए 16 पूर्णकालिक अध्यापक होंगे

विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों में अध्यापकों का वर्गीकरण इस प्रकार होगा :

1	प्राचार्य/विभागाध्यक्ष	एक
2	शिक्षा में परिप्रेक्ष्य	एक
3	शिक्षणशास्त्रीय विषय (गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा)	आठ
4	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा	एक

5	ललित कला	एक
6	प्रदर्शन कला (संगीत/नृत्य/नाटक)	एक

टिप्पणी : i विभिन्न विषय श्रेणियों में सूचीबद्ध अध्यापक अध्यापक–शिक्षा कार्यक्रम में उल्लिखित सभी पाठ्यक्रम क्षेत्रों में पढ़ा सकते हैं तथा आधारभूत एवं शिक्षण शास्त्रीय पाठ्यक्रम दोनां में सेवाएँ दे सकते हैं।

ii अध्यापक से बी.एस.सी. बी.एड./बी.ए.बी.एड. कार्यक्रम में अध्यापन कराया जा सकता है ताकि उपलब्ध शैक्षणिक विशेषज्ञता को और बेहतर बनाया जा सके।

5.2 योग्यता

अध्यापकों के लिए योग्यताएँ निम्नलिखित हैं–

ए. प्राचार्य/विभागाध्यक्ष

(i) कला/विज्ञान/ सामाजिक विज्ञान/मानविकी/वाणिज्य में 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि, और

(ii) न्यूनतम 55% अंकों के साथ एम.एड., तथा

(iii) शिक्षा में पी.एच.डी. या संस्थान पढ़ाए जा रहे किसी शिक्षण शास्त्रीय विषय में पी.एच.डी., एवं

(iv) किसी माध्यमिक शिक्षक शिक्षा संस्थान में 8 वर्ष का अध्यापन अनुभव।

वांछनीय : शैक्षणिक प्रशासन/नेतृत्व में डिप्लोमा/उपाधि।

बी. शिक्षा या आधारभूत पाठ्यक्रम में दृष्टिकोण

(i) सामाजिक विज्ञान में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि ; तथा

(ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ एम.एड. उपाधि।

(iii) न्यूनतम 55% अंकों के साथ शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.ए.) उपाधि ; तथा

न्यूनतम 55% अंकों के साथ बी.एड. उपाधि

सी. पाठ्यचर्या एवं शिक्षणशास्त्रीय पाठ्यक्रम

(i) विज्ञान/गणित /सामाजिक विज्ञान/भाषा में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि ; तथा

(ii) न्यूनतम 55% अंकों के साथ एम.एड. उपाधि।

वांछनीय : शिक्षणशास्त्रीय विशेषज्ञता के साथ शिक्षा में पी. एच.डी.।

{टिप्पणी : उस मामले में जब बी तथा सी साथ रखे जाएंगे, दो अध्यापक पदों के लिए, समाजशास्त्र/मनोविज्ञान/दर्शनशास्त्र में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा 55% अंकों के साथ बी.एड./बी.एल.एड. एवं माध्यामिक विद्यालय में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव विचारणीय होगा।}

डी. विशेषज्ञता पाठ्यक्रम

शारीरिक शिक्षा

(i) न्यूनतम 55% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.पी.एड.)।

दृश्य कला

(ii) न्यूनतम 55% अंकों के साथ ललित कला में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.एफ.ए.)।

(iii) न्यूनतम 55% अंकों के साथ संगीत/नृत्य/नाटक में स्नातकोत्तर उपाधि।

2 प्रशासनिक एवं वृत्तिक स्टाफ

ए	पुस्तकालयाध्यक्ष (55% अंकों के साथ बी.लिब.)	एक
बी	कम्प्यूटर प्रयोगशाला सहायक (55% अंकों के साथ बी.सी.ए.)	एक
सी	कार्यालय प्रबंधक	एक
डी	कार्यालय सहायक सह डाटा इंट्री ऑपरेटर	एक
ई	पाठ्यचर्या प्रयोगशाला समन्वयक	एक
एफ	लेखा सहायक	एक
जी	सहायक/प्रयोगशाला सहायक	दो

4728 GI/14-11

इन पदों के लिए योग्यताएँ राज्य सरकार/संबद्ध निकाय द्वारा समकक्ष पदो के लिए निर्धारित योग्यताएँ ही होंगी।

टिप्पणी : किसी संयुक्त संस्थान में प्राचार्य तथा शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्टाफ सहभागी हो सकते हैं। वहाँ एक प्राचार्य होगा और अन्य विभागाध्यक्षों के रूप में कार्य करेंगे।

5.5 स्टाफ का सेवा के निबंधन एवं शर्तें

शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक स्टाफ की चयन प्रक्रिया, वेतनमान, सेवानिवृत्ति की आयु तथा अन्य लाभ समेत सभी शर्तें एवं निबंधन राज्य सरकार/संबद्ध निकाय की नीति के अनुसार होंगे।

6 सुविधाएँ

6.1 बुनियादी सुविधाएँ

(ए) बी.एस.सी बी.एड. तथा बी.ए.बी.एड. कार्यक्रम चला रहे किसी संस्थान में कम से कम एक प्रशासनिक खंड, एक शैक्षणिक खंड तथा अन्य सुविधाएँ होंगी। सभी भवन एक दूसरे से जुड़े होंगे और निर्बाध आवागमन की व्यवस्था होगी।

शिक्षा विभाग के पास 3000 वर्ग मीटर भली प्रकार सीमांकित भूमि, प्रारंभिक 100 विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए होगी जिसमें से 2500 वर्ग भीटर भूमि भवन निर्माण के लिए तथा शेष भूमि उद्यानों, खेल परिसरों आदि के लिए होगी।

(बी) कक्षाएं : संस्थान में प्रत्येक 50 विद्यार्थियों के लिए एक 500 वर्ग मीटर का कक्ष होना चाहिए।

6.2 शिक्षण संबंधी सुविधाएँ

(ए) पुस्तकालय

पुस्तकालय कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करेगा तथा उसमें कम से कम 50% विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था होगी। साथ ही इसमें कम से कम 1000 शीर्षक तथा 3000 पुस्तकें होगी। इनमें पाठ्यपुस्तकें एवं पाठ्यक्रमों से संबंधित संदर्भ पुस्तकें, लेख एवं कार्यक्रम में वर्णित उपागमों संबंधी साहित्य ; शैक्षणिक विश्वकोष, इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन (सीडी रोम) और डिजिटल। ऑनलाइन संसाधन, साथ ही कम से कम पाँच वृत्तिक शोध पत्रिकाएं जिनमें से कम से कम एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन होगा, शामिल हैं।

पुस्तकालय के संसाधनों में एनसीटीई, एनसीईआरटी तथा अन्य संवैधानिक निकायों द्वारा प्रकाशित एवं संस्तुत पुस्तकें एवं शोध पत्रिकाएँ, शिक्षा आयोगों के प्रतिवेदन एवं नीति संबंधी दस्तावेज होंगे। पुस्तकालय में पढ़ने के स्थान आदि की व्यवस्था का प्रावधान होगा। एक समय में कम से कम 60 व्यक्ति पुस्तकालय में रूक सकेंगे। प्रत्येक वर्ष कम से 100 अच्छी पुस्तकें पुस्तकालय में शामिल की जाएंगी। पुस्तकालय में अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए फोटोकॉपी एवं इन्टरनेट की सुविधा होगी।

(बी) संसाधन केन्द्र

शिक्षक शिक्षा संस्थान भाषा, विज्ञान, गणित, कला, मनोविज्ञान, आईसीटी स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा विशेष शिक्षा के लिए एक एकीकृत संसाधन केन्द्र उपलब्ध कराएगा। यह केन्द्र विभिन्न प्रकार के संसाधन तथा सामग्री उपलब्ध कराएगा, जिससे शिक्षण–अधिगम की गतिविधियों का रूपांकन एवं चयन किया जा सकेगा। साथ ही प्रासंगिक पाठ, नीति–दस्तावेजों एवं आयोगों के प्रतिवेदन की प्रतियाँ; प्रासंगिक पाठ्यचर्या–दस्तावेज जैसे एनसीएफ, एनसीएफटीई, शोध प्रतिवेदन, सर्वेक्षणों (राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय) के प्रतिवेदन, जिला एवं राज्य स्तरीय आँकेड़े; अध्यापकों की पुस्तकें; पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ; विद्यार्थियों के क्षेत्रीय कार्य तथा शोध –संगोष्ठियों के प्रतिवेदन, श्रव्य–दृश्य उपकरण–टी.वी., डीवीडी प्लेयर, एलसीडी प्रोजेक्टर, फिल्में (वृत्तचित्र, बाल फिल्में, सामाजिक सरोकारों/मुद्दो से जुड़ी अन्य फिल्में, शिक्षा पर आधारित फिल्में); कैमरा और अन्य रिकॉर्डिंग यंत्र तथा पर्याप्त संख्या में इंटरनेट सुविधाएँ सुलभ कराएगा। इसमें पाठ्यक्रम में निर्धारित (माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक) प्रयोगों के प्रस्तुतीकरण एवं प्रदर्शन के लिए आवश्यक विज्ञान के उपकरणों के कई सैट होंगे। रसायन आदि आवश्यक मात्रा में उपलब्ध कराए जाएँगे। टीएलएम इत्यादि के लिए भी संसाधन केन्द्र में व्यवस्था होगी, भाषा प्रयोगशाला की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम्प्यूटर प्रयोगशाला होगी, साथ ही व आईसीटी एकीकरण की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगी।

(सी) स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा केन्द्र

घर में खेले जाने वाले तथा मैदानी खेलों के लिए खेल–कूद के पर्याप्त उपकरणों के साथ–साथ योग–शिक्षा की भी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

(डी) बहुउद्देशीय हॉल

संस्थान में दो सौ व्यक्तियों के बैठने के लिए कम से कम 2000 वर्ग मीटर में बना एक संगोष्ठि कक्ष होगा। यह हॉल संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के आयोजन के लिए पूर्णतया सुसज्जित होगा।

अध्यापकों के कक्ष

अध्यापकों को व्यक्तिगत कक्ष दिए जाएँगे जिसमें सुचारू रूप से कार्य कर रहे कम्प्यूटर तथा भंडारण स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

(एफ) प्रशासनिक कार्यालय

संस्थान कार्यालय स्टाफ को समुचित जगह, कायात्मक कम्प्यूटर तथा भंडारण स्थान एवं फर्नीचर उपलब्ध कराएगा।

(जी) सार्वजनिक कक्ष

संस्थान कम से कम दो पृथक सार्वजनिक कक्ष, एक पुरूषों तथा एक महिलाओं के लिए, उपलब्ध कराएगा।

(एच) शौचालय

संस्थान कम से कम छः शौचालय उपलब्ध कराएगा, दो विद्यार्थियों के लिए (एक पुरूष, एक महिला), दो अध्यापकों के लिए तथा दो शौचालय विकलांगों के लिए।

स्टोर

भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था होगी।

टिप्पणी : अन्य विभागों संपूर्ण संस्थान के लिए बुनियादी तथा शिक्षण–संबंधी सुविधाएं संबद्ध विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार होंगी। इसमें विज्ञान प्रयोगशालाएं, खेल परिसर, व्याख्यान हॉल, प्रेक्षागृह, खुला स्थान आदि आते हैं।

6.3 अन्य सुविधाएं

(ए) शिक्षण तथा अन्य उद्देश्यों के लिए के लिए आवश्यक संख्या में सही अवस्था में तथा उपयुक्त फर्नीचर।

(बी) वाहन खड़े करने के लिए स्थान की व्यवस्था।

(सी) संस्थान में स्वच्छ पेय जल की उपलब्धता।

(डी) परिसर, जल संसाधनो, शौचालयों (पुरूषों, महिलाओं एवं अध्यापकों के लिए पृथक) की प्रतिदिन साफ–सफाई, फर्नीचर के रख–रखाव और अन्य उपकरणों की मरम्मत आदि की प्रभावी व्यवस्था।

{टिप्पणी : संयुक्त संस्थान के मामले में, बुनियादी, शिक्षण संबंधी एवं अन्य सुविधाएं विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा उपयोग में लाई जाएंगी}

7. प्रबंधन समिति

यदि संबद्ध विश्वविद्यालय/संबंधित राज्य सरकार का कोई नियम है तो संस्थान में उसी के अनुसार एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। इस तरह के किसी नियम की अनुपस्थिति में संस्थान स्वयं ही एक प्रबंधन समिति बनाएगा। समिति में प्रायोजक सभा/न्यास के प्रतिनिधि, शिक्षाविद् एवं शिक्षक अध्यापक, संबद्ध विश्वविद्यालय तथा स्टाफ के प्रतिनिधि होंगे।

परिशिष्ट–14

शिक्षा में स्नातक (बी.एड) डिग्री प्राप्त कराने वाला बी.एड (अंशकालिक) कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना

बी.एड के रूप में ज्ञात शिक्षा में स्नातक(अंशकालिक) एक व्यावसायिक कार्यक्रम है जो स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों अर्थात् उच्च प्राथमिक अथवा मिडिल स्तर (कक्षा VI-VIII), माध्यमिक स्तर (कक्षा IX-X) तथा उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा XI-XII) के लिए अध्यापक तैयार करता है। यह कार्यक्रम तीन वर्ष की अवधि के दौरान स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण तथा स्कूल–आधारित क्रियाकलाप के साथ आमने–सामने शिक्षण को जोड़ते हुए विभाजित तरीके से आयोजित किया जाएगा।

यह कार्यक्रम माध्यमिक स्कूलों में VI-XII कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापकों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को व्यावसायिक अर्हता प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान करता है। यह कार्यक्रम इस प्रकार आयोजित किया जाएगा कि पाठ्यचर्या और मूल्यांकन सहित सभी पक्षों में पूर्णकालिक आमने सामने बी.एड कार्यक्रम के साथ इसकी समतुल्यता सुनिश्चित की जा सके।

2. कार्यक्रम को चलाने के लिए पात्र संस्थाएं

(i) राअशिप द्वारा मान्यता प्रदत्त ऐसे अध्यापक शिक्षा संस्थान जो बी.एड और एम.एड कार्यक्रम चला रहे हैं, जो कम से कम पांच वर्षों से अस्तित्व में रहे हैं और जिनके पास कम से कम बी ग्रेड का नैक प्रत्यायन है।

(ii) यूजीसी द्वारा मान्यताप्रदत्त मुक्त विश्वविद्यालयों को छोड़कर केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षा के विभाग/स्कूल।

टिप्पणी: प्रार्थी संस्थान कार्यक्रम चलाने के लिए राअशिप को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की पूर्व सहमति प्राप्त करेगा।

3. अवधि और कार्य दिवस

3.1 अवधि

बी.एड कार्यक्रम तीन शैक्षणिक वर्षों का होगा जो कार्यक्रम में दाखिले की तारीख से अधिक से अधिक पांच वर्ष की अवधि में पूरा करना होगा।